



Regional office

Rajasthan State Pollution Control Board

Address : F-470, Near UCCI Building, M.I.A, Udaipur (Raj.)

Email : rorpcbudaipur@gmail.com Phone no : 0294-2491269

No.: RPCB/RO U/UDR/ 664

Dated : 24/07/2023

To,

The State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA)
Rajasthan, Room No. 5221, Main Building,
Govt. Secretariat,
Jaipur, Rajasthan

Sub:- Regarding minutes of public hearing dtd. 13-06-2023 for Environmental Clearance of
M/s Sky Stone, Quartz & Feldspar (Plot no.-36) N/v Bodki, Tehsil-Lasadia, Dist-
Udaipur.

Ref:- कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर का पत्र क्रमांक प.39/2(6)राज./खनन/2023/1339
दिनांक 25.04.2023।

Sir,


With reference to above, kindly find enclosed herewith a copy of Minutes of Public Hearing Meeting held on 13-06-2023 for proposed production of M/s Sky Stone, Quartz & Feldspar (Plot no.-36) N/v Bodki, Tehsil-Lasadia, District: Udaipur.

A copy of attendance sheet, CD and album are also enclosed for ready reference.

Submitted for information & further necessary action.


Encl : As above

Yours Faithfully,


(Sharad Saksena)
Regional Officer

Copy to:-

1. The Member Secretary, RSPCB, Jaipur for information please.
2. Additional District Magistrate, Udaipur
3. Incharge, I.T. Cell, RSPCB, Jaipur
4. M/s Sky Stone, N/v Bodki, Tehsil-Lasadia, District: Udaipur.


Regional Officer

मैसर्स स्काय स्टोन, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपारमाईन्स, पर्यावरणसंबंधी जनसुनवाई दिनांक

13.06.2023 प्रातः 11:30 AM बजे, राजीवगांधीभारतनिर्माणसेवाकेन्द्र

शोभाजीकागुडा, ग्राम-बोडकी, तहसील-लसाडिया, जिला-उदयपुर

यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना स्थानीय समाचार पत्र प्रातः काल में दिनांक 08.05.2023 एवं द सण्डे एक्सप्रेस में दिनांक 07.05.2023 को प्रकाशित करवा दी गई थी।

यह जनसुनवाई "मैसर्स स्काय स्टोन" द्वारा प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार खनन परियोजना (प्लॉट संख्या 36/2021 (लीज क्षेत्र 4.0090 हैक्टेयर) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टो को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 19.8418 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1382381 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार उत्पादन क्षमता 264890 TPA निकट ग्राम-ग्राम-बोडकी, तहसील-लसाडिया, जिला-उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रु. 12.00 करोड़ है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुनें तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत कोई सुझाव/मिाकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आपका नाम तथा गांव का नाम बताये साथ ही अपना सुझाव/मिाकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/मिाकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्य वृत्त बनाये जायेंगे। जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्यों

3011
(जो.पी. सुक्ल)
अति. जिला क्लस्टर (पर्यावरण)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

कि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 28.09.2022 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्ष्मता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

लोक जनसुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उद्योगमालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ट "अ" में संलग्न) है।

उपरोक्त के प"चात इकाई के पर्यावरणीय/तकनीकीसलाहकार कोंगनिजेन्स रिसर्च इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आई.ए रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक "ब" के अनुसार है।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के प"चात श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, वि"कायते रखने हेतु आमंत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार है:-

श्री भारद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी:- आप सी.एस.आर. में क्या क्या कर रहे हो बताएं।

पर्यावरण सलाहकार श्री निमेंस सिंघवी:- ग्रामवासीयो के लिए कलस्टर लीज धारक द्वारा प्रतिवर्ष 21.30 लाख रु. प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान दिया गया है। जिसमे सडक की रखरखाव एवं मरम्मत के लिए 5 लाख रु., ग्रामवासीयो के स्वास्थ्य सेवाओ के लिए 2 लाख रु., स्कूल भवन की मरम्मत एवं फर्निचर के लिए 2.20 लाख रु., मवेशियो के चारे और पानी के लिए 1.50 लाख रु. प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान दिया गया है। इसके साथ ही गांव वासीयो कि जरूरत के हिसाब से सी एस आर गतिविधीयो के तहत उक्त मदो के अलावा भी खर्च कर सकते है।


श्री भारद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी:- आप में से और भो कोई आक्षेप, सुझाव, देना चाहता है तो बताए।


अन्तः में श्री ओ० पी० बुनकर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, महोदय की अनुमति से श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के

30/11
(ओ.पी. बुनकर)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

कार्यवृत्त में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकार्डिंग सी.डी (परिशिष्ट "द"में सलंगन) एवं फोटोग्राफ (परिशिष्ट "य"में सलंगन) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर-(प्रशासन), उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।


(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (प्रशासन)
जिला-उदयपुर


(अरुण सक्सेना)
क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षे.का., रा.प्र.नि.म., उदयपुर
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

मैसर्स स्काय स्टोन, क्वार्टर्ज एवं फेल्सपार माईन्स (प्लॉट संख्या 36/2021, क्षेत्रफल-4.0090 हेक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 264890 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्टर्ज एवं फेल्सपार उत्पादन क्षमता 1382381 TPA निकट ग्राम- बोडकी, तहसील-लसाडिया, जिला-उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत दिनांक 13.06.2023 को 11:30 AM बजे, राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र शोभाजी का गुडा, ग्राम-बोडकी, तहसील-लसाडिया, जिला-उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगण:-

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	O. P. Bunkar	ADM Udaipur	3/11
2	Sharan Saini	RO RSCB Udaipur	
3	Nimish Singhvi	Director, CRRL	(M)
4	Ravi Prasad Khetri	Rev. TOR Rev.	
5	C. P. Jangal	RPCR	
6	Kapoor Anand CIRPL	Udaipur	
7	कमलेश्वर प्रसाद शर्मा	ग्राम बोडकी तहसील लसाडिया उदयपुर	
8	बालकृष्ण शर्मा	ग्राम बोडकी तहसील लसाडिया उदयपुर	
9	श्री. शर्मा	बोडकी	मशम
10	मशम शर्मा	बोडकी	
11	अनिल शर्मा	बोडकी	30/9/18
12	पंकज	बोडकी	पावला
13	शमशेर	बोडकी	शमशेर
14	जगदीश शर्मा	बोडकी	नारायण
15	नरेश शर्मा	बोडकी	नरेश शर्मा
16	प्रताप शर्मा	बोडकी	प्रताप शर्मा
17	जगदीश शर्मा	बोडकी	जगदीश शर्मा
18	बिनाय	बोडकी	बिनाय
19	प्रकाश शर्मा	बोडकी	प्रकाश
20	दिनेश शर्मा	बोडकी	
21	कमलेश्वर शर्मा	बोडकी	
	कमलेश्वर शर्मा	बोडकी	K-S

PLOT NO. -36









मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार गणेशलाल पुत्र वेणीराम गायरी निवासी खाखड़ झाडोल ने मामला दर्ज करवाया कि उसकी पुत्री माया (16) जो नाथूलाल गायरी निवासी मालपुर झाडोल के घर पर शादी में गई थी, जहां से उसकी पुत्री लापता हो गई। पीड़ित ने शंका के आधार पर केशुलाल पुत्र नानालाल गायरी निवासी भीण्डर पर उसकी पुत्री का अपहरण कर ले जाने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मार्बल से भरा ट्रेलर खाई में गिरा



उदयपुर. नगर संवाददाता | जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर चोर बावड़ी के समीप हाईवे ठेकेदार की लापरवाही के चलते मार्बल ब्लॉक से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर रोड़ किनारे पलट गया, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार गोगुंदा से उदयपुर जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर जगह जगह हाईवे ठेकेदार द्वारा ब्लॉक काट रखे हैं, जिस्से आए दिन हादसे हो रहे हैं। रविवार मजावद से मार्बल के ब्लॉक भरकर उदयपुर की ओर जा रहा तेज रफ्तार ट्रेलर अचानक खड्डों में गिर गया और अनियंत्रित होकर रोड़ किनारे जाकर पलट गया। हादसे में ट्रेलर का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही गोगुंदा पुलिस का जाबता मौके पर पहुंचे और गंभीर घायल को 108 की मदद से नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया। वही हाईवे टीम द्वारा ट्रेलर को बीच मार्ग से हटाने के प्रयास जारी हैं।

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के हथियार से हमला कर घंटाघर थाना क्षेत्र में लालघाट पर रात्रि को चार युवकों ने शराब के नशे में अपने ही एक गाईड साथी की ट्यूरिस्ट पार्टी के कमीशन के विवाद में तलवार और सरियों से हमला कर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार नावघाट निवासी कुलदीप उर्फ विक्की पुत्र पन्नालाल वर्मा, सुमित पुत्र हरिश सोनी निवासी बुद्ध जी का दरवाजा, पंकज उर्फ रामलाल सुहालका पुत्र रामेश्वरलाल सुहालका निवासी गणेशघाटी, तनवीर उर्फ माया पुत्र निसार अहमद निवासी खेरादीवाड़ा, इदरीस उर्फ (30) सद्दाम पुत्र जमीन मोहम्मद निवासी भिरती मोहल्ला महावतवाड़ी हॉल अपोलो आर्ट के पास मल्लातलाई पांचों शनिवार रात्रि को जगदीश चौक पार्किंग में बैठे थे। पांचों यहां से रात्रि को करीब 11 बजे लालघाट पर गए, जहां पर इनका ट्यूरिस्ट पार्टी देने पर कमीशन के लेने-देन को लेकर को लेकर विवाद हो गया। इस पर चारों ने मिलकर इदरीस उर्फ सद्दाम पर लोहे के पाईप, धारदार

हथियार से हमला कर हुआ समझकर चले घंटाघर थाने से जाबता लालघाट पर पहुंचा तो को घायलवास्था में पड़ एमबी चिकित्सालय भर्ती और इसके परिजनों को रात्रि को परिजन आए को उठाकर एक निजी लेकर गए, जहां से चिकित्सालय लेकर गए भी उपचार समझ में नहीं को ही इसे अहमदाबाद पर उपचार के दौरान इस तोड़ दिया। सूचना पर घंटाघर थ अहमदाबाद गए औ पोस्टमार्टम करवाकर श सुपुर्द किया। इधर इस प्र ने जांच करते हुए मार करने में इसके साथी पंकज उर्फ रामलाल सुहा लिया। मामले में फरार उर्फ तनवीर और कुल फरार चल रहे है। जिस जा रही है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ: 470.पू. सी. आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)
ई-मेल: rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं.: 0294-2491269

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मैसर्स स्काई स्टोन द्वारा क्वार्टर एवं फैलापार (अग्रधान खनिज) खदान प्लॉट संख्या 36 खनन क्षेत्रफल 4.0090, उत्पादन क्षमता 264890, (कुल क्वार्टर क्षेत्रफल 19.8418 हेक्टेयर, कुल क्वार्टर उत्पादन क्षमता 1382381 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम.), निकट ग्राम- बोड़की, तहसील-लसाडिया, जिला- उदयपुर से सम्बंधित क्वार्टर प्रस्तावित परियोजना बाबत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
- चूंकी मैसर्स स्काई स्टोन, खनन पट्टा प्लॉट संख्या 36 खनन क्षेत्रफल 4.0090, उत्पादन क्षमता 264890 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम. द्वारा बोड़की क्वार्टर एवं फैलापार (अग्रधान खनिज) माइन क्वार्टर परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बंध में पर्यावरणीय जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेज के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। क्वार्टर में सम्मिलित अन्य खनन परियोजनाएं 1. मैसर्स ए एम आर स्टोन एम एल न. 01/2018 एरिया 3.8605 हेक्टेयर 2. मैसर्स एस ए एम वी इण्डस्ट्रीज एम एल न. 02/2018, एरिया 2.2781 हेक्टेयर 3. मैसर्स बोड़की माईंस एम एल न. 03/2018 एरिया 2.9215 हेक्टेयर 4. श्री रामदेव तेली एम एल न. 05/2018, एरिया 3.3862 हेक्टेयर 5. श्री प्रदीप कोठारी एम एल न. 06/2018, एरिया 3.3865 हेक्टेयर (कुल क्वार्टर क्षेत्रफल 19.8418 हेक्टेयर, कुल क्वार्टर उत्पादन क्षमता 1382381 टन प्रति वर्ष आर. ओ. एम.) हैं।
- चूंकी मंडल को उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सुचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
- उक्त परियोजना से सम्बंधित सक्षिप अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-
1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।
2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय - 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डुंगरी, जयपुर।
3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरुच्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर।
4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)
5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
6) उपखण्ड अधिकारी, लसाडिया, जिला - उदयपुर।
7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, क्रमांक संख्या 8240 द्वितीय तल, उय (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बंधित लोक सुनवाई दिनांक 13.06.2023 (संगलवार) को प्रातः 11.30 बजे, राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केंद्र, शोभजी का गुड़ा, ग्राम-बोड़की, तहसील-लसाडिया, जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आशेष को बिलड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही इस सम्बंध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी



उदयपुर. नगर संवाददाता | जिले की घासा थाना पुलिस ने एक डेयरी संचालक पर महिला से अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए दुकान में घुसकर उसका अपहरण कर उसे अपने साथ ले जाकर जमकर मारपीट कर उससे 55 हजार रूपए लेने और 15 लाख रूपए के चैक लेने के मामले में छः आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

थानाधिकारी फेलीराम ने बताया कि अंबालाल पुत्र दीपचंद जोशी निवासी घासा ने मामला दर्ज करवाया कि वह घासा में ही मंगल डेयरी के नाम से व्यवसाय करता है। 27 अप्रैल को वह अपनी डेयरी पर था। इस दौरान उसके पास एक फोन आया और फोन करने वाली महिला ने अपना नाम रतनी बताया और उससे 50

किए और बार- दिया। शाम को वह कहां पर है है। इसके कुछ उसने अपना न रूपए मांगे। उस बंद हो गई तो होकर पुष्कर पुः का नोहरा, दिने वागमारिया, नि निवासी दुर्गावतो सांगवा सहित आरोपियों ने आरोप लगाते हु